उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 10-12-81 को 10-00 बजे पूर्वान्ह हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1981 की पंचम बैठक का कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1)	श्री बी0जे0बौदाबजी		अध्यक्ष
(2)	श्री दयानन्द व्यास	सदस्य विधान परिषद	सदस्य
(3)	श्री आदित्य कुमार रस्तोगी	सचिव, आवास विभाग	सदस्य
(4)	श्री डी0बी0श्रीवास्तव	उप सचिव, वित्त विभाग (सचिव, वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
(5)	श्री जे0पी0दूबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(6)	श्री आर0एस0माथुर	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 24-9-81 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	V/(1)/81	परिषद के कार्यवृत्त में निम्नलिखित संशोधन करते हुये पुष्टि की गयी:- 1-मद सं0-2 के क्रमांक-1 की 9वीं पंक्ति में''अनुरूप हो''और''को''के बीच में मानकों शब्द लिख दिया जाय। 2-मद सं0-31 के प्रस्तर-4 में''जल निगम''और''जल संस्थान''के बीच''तथा मण्डलीय ''शब्द जोड़ दिया जाय।
2-	दिनांक 24-9-81 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	V/(2)/81	परिषद व्दारा दिनांक 24-9-81 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या का अवलोकन किया गया और निम्नलिखित निर्देश दिये गये:- 1-वाहनों के क्रय करने के सम्बन्ध में शासन स्तर से की जा रही कार्यवाही की जानकारी श्री ए0के0रस्तोगी, आवास सचिव महोदय व्दारा करायी गयी। उन्होंने बताया कि मार्च, 1982 तक नये वाहनों के क्रय पर रोक लगायी गई है। जहाँ तक मानक निर्धारित करने का प्रश्न है उन्होंने यह इंगित किया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुरूप ही मानक तैयार कर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

क्र0प0उ0

1	2	3	4

2- सहायक निदेशक(प्रचार)के रिक्त पद को भरने के सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही की जानकारी परिषद को करायी गयी। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि साक्षात्कार की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कर जनवरी, 82 के अन्त तक यह पद भर दिया जाय।

3- भूमि अध्याप्ति से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि राजस्व परिषद के अध्यक्ष अथवा सदस्य (भूमि अर्जन)की अध्यक्षता में एक बैठक करा ली जाय जिसमें राजस्व सचिव महोदय आवास सचिव महोदय तथा आवास आयुक्त महोदय को भी बुला लिया जाय।

कानपुर के लिये स्वीकृत विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पद पर शीघ्र ही तैनाती करने की कार्यवाही की जाय।

4- मुरादाबाद और अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों द्वारा परिषद के आवास गृहों में किये गये अनाधिकृत अतिक्रमणों का मामला मंत्री परिषद के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि अब तक के ऐसे अध्यासन के बारे में पूर्ण विवरण आवास सचिव महोदय को भेजे जायं और गृह(पुलिस)विभाग से क्षतिपूर्ति की मांग की जाय। आवास सचिव महोदय को जो पत्र भेजा जाय उसमें हुडको के चेयरमैन द्वारा इस संदर्भ में भेजे गये पत्र को भी संलग्न किया जाय।

5- राम सागर मिश्र नगर(अब इन्दिरानगर) के 80 मध्यम आय वर्ग एम0ए0/75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक सम्परीक्षण के सम्बन्ध में सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर बैठक यथाशीघ्र कराने का आश्वासन आवास सचिव महोदय ने दिया। उन्हें इसके लिये संदर्भ भेज दिया जाय।

6- परिषद की सभी निर्मित कालोनीज़ को स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के संबंध में सचिव, नगर विकास के स्तर पर बैठक शीघ्र आयोजित करायी जाय। सचिव नगर विकास ने आश्वासन दिया कि वह नगर महापालिकाओं और नगर-पालिकाओं के प्रशासकों की शीघ्र बैठक करेंगे और इस समस्या का निराकरण करायेंगे।

7- परिषद लेखों को कम्प्यूटराइज़ करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि पहले पूर्व लेखों का रिकन्सिलियेशन करा लिया जाय और इसके बाद लेखा-मैनुअल तैयार हो जाय। तदुपरान्त कम्प्यूटराईज़ेशन की कार्यवाही कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त निर्णय ले लिया जाय। परिषद के सदस्य

क्र0प0उ0

1	2	3	4

श्री दयानन्द व्यास के सुझाव पर यह निर्णय लिया गया कि परिषद के आवंटियों को पास-बुक दिये जाने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर लिया जाय जिसमें आवंटियों व्दारा जमा की गयी धनराशि के विवरण समय-समय पर अंकित होते रहें।

8- आगरा की कमला नगर आवास योजना में ग्राम लश्करपुर में भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में माननीय आवास मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक शीघ्र कराने का निर्णय लिया गया।

9- परिषद व्दारा विभिन्न नगरों में निर्मित आवासीय भवनों में से कुछ प्रतिशत भवन जरूरतमंद व्यक्तियों को आवंटित करने के सम्बन्ध में आवास आयुक्त महोदय को अधिकृत करने के लिये शासन के आदेश शीघ्र प्राप्त करने का प्रयास किया जाय। शासन की स्वीकृति यदि मिल जाती है तो ऐसे भवनों के आवंटन की गाइड-लाइन्स बनवा ली जाय ताकि विवेक के प्रयोग पर कोई आक्षेप भविष्य में न लगे।

10- जल निगम से भीमताल में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था के सम्बन्ध में शीघ्र वार्ता की जाय। साथ ही आयुक्त, कुमाऊं मण्डल से भी बात कर लिया जाय और निष्कर्षों से परिषद को अगली बैठक में परिषद को अवगत कराया जाय।

11- ''रिवाल्विंग फण्ड'' के सम्बन्ध में प्रस्तावित बैठक शीघ्र कराकर निर्णयों से परिषद को अवगत कराया जाय।

12- परिषद के अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में शासन स्तर से शीघ्र कार्यवाही पूरी कराने का प्रयास किया जाय।

13- परिषद के कार्यक्षेत्र में गाज़ियाबाद को सम्मिलित करने के पूर्व निर्णय पर शीघ्र शासन स्तर से कार्यवाही कराने का अनुरोध किया जाय।

14- रानीखेत में भूमि प्राप्त करने हेतु पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शीघ्र कार्यवाही की जाय और प्र-स्ताव अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत किया जाय।

15- दिलकुशा में स्थित कैन्टोनमेन्ट बोर्ड की भूमि प्राप्त करने हेतु एक स्वत: स्पष्ट टिप्पणी बनाकर आवास सचिव महोदय को भेजी जाय ताकि माननीय आवास मंत्री जी उस संदर्भ में राज्य मंत्री, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से बात कर सकें।

16- पिथौरागढ़ तथा मंसूरी में भूमि चयन की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कराकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। हमीरपुर में यदि भूमि मिलने की संभावना न हो तो उसे परिषद के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करने की कार्यवाही समाप्त कर दी जाय।

क्र०प०उ०

1	2	3	4
			नौगढ़ (जिला-बस्ती) को नगरीय क्षेत्र न होने के कारण परिषद के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करने का प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया।
			17- गोपेश्वर में धारा-28 का प्रस्ताव अगली बैठक में अवश्य रखा जाय।
			18- ''क्वालिटी कन्ट्रोल''के लिये प्रस्तावित सिस्टम की विस्तृत रूप रेखा अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।
			19- निर्माण कार्यों हेतु सीमेन्ट का कोटा बढ़ाने हेतु सीमेन्ट कन्ट्रोलर से शीघ्र सम्पर्क कर अतिरिक्त कोटे का आवंटन कराया जाय। कोयले की रेक शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु रेलवे बोर्ड से आवास सचिव महोदय के माध्यम से अनुरोध किया जाय।
3-	परिषद की मध्यम आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत विनियमावलियों में प्रयुक्त 'भूमि' का तात्पर्य 'क्षेत्र' से भी लिया जना।	V/(3)/81	परिषद की मध्यम आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत विनियमावली में प्रयुक्त भूमि का तात्पर्य क्षेत्र से लिये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त अस्वीकृत किया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लियागया कि इस संबंध में भारत-सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन से पत्राचार कर ''स्टैण्डिंग इन्स्ट्रक्शंस' में संशोधन कराया जाय। तदुपरान्त इस प्रस्ताव पर विचार करना संभव हो सकेगा।
4-	परिषद की योजना सं0-1, कानपुर में कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण।	V/(4)/81	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के उपरान्त परिषद की योजना सं0-1, कानपुर में कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी योजना लखनऊ महानगरी के लिये भी बना ली जाय।
5-	शाहपुर योजना सं0-2-3 गोरखपुर में 84 मध्यम आय वर्ग के भवनों का निर्माण।	V/(5)/81	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के उपरान्त परिषद की शाहपुर योजना सं0-2-3 गोरखपुर में 84 मध्यम आय वर्ग के भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में जब ऐसा प्रस्ताव आये तो इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि उक्त योजना परिषद फन्ड से क्यों प्रस्तावित की गई है।
6-	परिषद की आईज़ट नगर योजना सं0-2, बरेली में 54 भवन मध्यम आय वर्ग 44 भवन अल्प आय वर्ग तथा 35 भवन दुर्बल आय वर्ग का निर्माण।	V/(6)/81	परिषद ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की। यह भी निर्णय लिया गया कि कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह देख लिया जाय कि क्या ऐसी योजना के लिये हडको से वित्तीय सहायता मिल सकती है या नहीं।

क0प030

1	2	3	4
7-	प्रथम हडको संयुक्त परियोजना योजना सं0-1 हापुड़ के वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	V/(7)/81	परिषद व्दारा प्रथम हडको संयुक्त परियोजना सं0-1 हापुड़ के वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
8-	हडको व्दारा वित्त पोषित कम्पोज़िट हाउसिंग प्रोजेक्ट-1 हापुड़ (स्कीम नं0-1802 सी0)	V/(8)/81	यह योजना हडको से स्वीकृत हो चुकी है अतः परिषद व्दारा इन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।
9-	प्रथम हडको कम्पोज़िट हाउसिंग प्रोजेक्ट नयागंज हाउसिंग स्कीम जौनपुर (स्कीम नं0-1804 सी0)	V/(9)/81	परिषद ने सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के पश्चात प्रथम हडको कम्पोजिट हाउसिंग प्रोजेक्ट नयागंज हाउसिंग स्कीम जौनपुर (स्कीम नं0-1804 सी0) के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।
10-	हडको व्दारा वित्त पोषित हाउसिंग स्कीम रामपुर (स्कीम नं0-1803 सी0)	V/(10)/81 /व्दारा	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के उपरान्त हडको/वित्त पोषित हाउसिंग स्कीम रामपुर(स्कीम नं0-1803 सी0) के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
11-	खून के रिश्ते के निकट सम्बन्धियों के बीच प्रदिष्ट सम्पत्ति का अन्तरण।	V/(11)/81	परिषद ने खून के रिश्ते के निकट सम्बन्धियों के बीच प्रदिष्ट सम्पत्तियों के अन्तरण के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे अन्तरण की सूचना आय कर विभाग को भी दे दी जाय तथा साथ ही 1% की दर से अन्तरण शुल्क भी लिया जाय।
12-	श्री आशा राम गुप्ता को प्रदिष्ट भवन सं0-25 डी0के विकल्प के संबंध में।	V/(12)/81	इस मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुये श्री गुप्ता ने केवल पार्क रोड योजना के लिये ही अपना पंजीकरण कराया था और शासन व्दारा उक्त योजना के भवन ले लिये जाने के कारण उन्हें उक्त योजना में भवन देना संभव नहीं हो पाया, परिषद ने सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि श्री गुप्ता को अपवाद स्वरूप किश्त क्रय पद्धति और माल एवेन्यू योजना में भवन संख्या-25 डी0 उच्च आय वर्ग का प्रदिष्ट कर दिया जाय।
13-	शासन के निर्देशानुसार यू0पी0पब्लिक अन्डर टेकिंग स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड को स्पोर्ट्स हेतु राशि देने के संबंध में।	V/(13)/81	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
14-	परिषद की हिल्टन लेन योजना के अन्तर्गत अनाधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों को योजना हित में भवनों का प्रदेशन किया जाना।	V/(14)/81	परिषद ने सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि मीराबाई मार्ग योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि पर अनाधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों को योजना हित में भवनों का प्रदेशन कर दिया जाय।

कृ0प0030

1	2	3	4
15-	अवर अभियन्ताओं/सहायक अभियन्ताओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिये जाने के संबंध में।	V/(15)/81	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के पश्चात् अवर अभियन्ताओं/ सहायक अभियन्ताओं को ''प्रोफेशनल ट्रेनिंग'' दिये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि ''प्रोफेशनल-ट्रेनिंग'' के सम्बन्ध में प्रस्तावित व्यवस्था के अनुरूप सेवा विनियमावली में संशोधन कराया जाय साथ ही संक्षिप्त मैनुअल बुकलेट के रूप में तैयार कर ली जाय ताकि नवनियुक्त तथा अन्य सभी अवर अभियन्ताओं और सहायक अभियन्ताओं को उन्हें दिया जा सके।
16-	डायमण्ड डेरी योजना लखनऊ स्थित दुकान सं०-1, के समीप स्थित भूमि का उपयोग।	V/(16)/81	डायमण्ड डेरी योजना, लखनऊ स्थित दुकान सं०-1 के समीप स्थित भूमि को उपयोग करने के प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि को खादी ग्रामोद्योग संस्थान को गार्डेन लीज़ पर दे दिया जाय। गार्डेन लीज़ की शर्तें और लीज़ रैन्ट की दर आदि आवास आयुक्त महोदय अपने स्तर पर निर्धारित कर लेंगे।
17-	परिषद में मुख्य वास्तुविद् नियोजक का पद जिसका वेतनमान 1400-50-1500-द०रो०-60-1800 है, को स्थायी पद घोषित करने के सम्बन्ध में।	V/(17)/81	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के उपरान्त मुख्य वास्तुविद् नियोजक का पद जिसका वेतनमान 1400-1800 है, को स्थायी करने का निर्णय लिया गया।
18-	आवास समितियों के पंजीकरण और पर्यवेक्षण आदि कार्यों में हो रहे व्यय को शासन व्दारा वहन किये जाने पर विचार।	V(18)/81	परिषद ने सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के पश्चात् आवास समितियों के पंजीकरण और पर्यवेक्षण आदि कार्यों में हो रहे व्यय को शासन व्दारा वहन किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।
19-	किन्हीं कारणों से लाटरी से छूटी हुई सम्पत्ति के प्रदेशन को अधिकार आवास आयुक्त को दिये जाने के संबंध में।	V(19)/81	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से विचार विमर्श के पश्चात् छूटी हुई सम्पत्ति के प्रदेशन का अधिकार आवास आयुक्त को दिये जाने का प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया गया कि ऐसी सम्पत्तियों का प्रदेशन के पूर्व पुनर्मूल्यांकन करा लिया जाय। ऐसा मूल्यांकन करते समय भवनों के निर्माण की वर्तमान लागत में से डिपरिसियेशन (depreciation) की कीमत निकाल कर भूमि का वर्तमान मूल्य और मूल्यांकन की तिथि तक का व्याज़ जोड़ दिया जाय
20-	राम सागर मिश्र नगर योजना के सेक्टर-3 में सात दुकानों का निर्माण।	V/(20)/81	परिषद व्दारा राम सागर मिश्र नगर योजना (इन्दिरा नगर) के सेक्टर-3 में सात दुकानों के निर्माण के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से विचार विमर्श के पश्चात् स्वीकृति प्रदान की गयी।
21-	राम सागर मिश्र नगर योजना के सेक्टर-1, 5, 6 तथा 7 में 186 दुकानों का निर्माण।	V/(21)/81	परिषद व्दारा राम सागर मिश्र नगर योजना (इन्दिरा नगर) के सेक्टर 1, 5, 6 तथा 7 में 186 दुकानों के निर्माण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

कृ०प०उ०

1	2	3	4
22-	हडको व्दारा वित्त पोषित कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम सं०-1 महोली मथुरा (स्कीम नं०-1776)	V/(22)/81	परिषद व्दारा हडको व्दारा वित्त पोषित कम्पोजिट, हाउसिंग स्कीम-1, महोली मथुरा (स्कीम नं०-1776) के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
23-	नेहरूनगर योजना सं०-1 देहरादून में 12 भवन उच्च आय वर्ग 2/78 आर०तथा 207 भवन दुर्बल आय वर्ग डब्लू0-4/79 प्रकार के भवनों का निर्माण।	V/(23)/81	परिषद ने सर्वसम्मति से विचार विमर्श के पश्चात् नेहरु नगर योजना सं०-1, देहरादून में 12 भवन उच्च आय वर्ग 2/78 आर० तथा 207 भवन दुर्बल आय वर्ग डब्लू0-4/79 प्रकार के भवनों को निर्माण। की स्वीकृति प्रदान की।
24-	परिषद व्दारा निर्मित सम्पत्ति में परिषद कर्मचारियों का आरक्षण समाप्त किये जाने के संबंध में।	V/(24)/81	परिषद के सदस्यों को शासन के आदेशों की जानकारी करायी गयी और परिषद ने इसे नोट कर लिया।
25-	निर्माण कार्य की समीक्षा (30 सितम्बर-81 तक)	V/(25)/81	निर्माण कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में परिषद की मानीटरिंग कमेटी व्दारा दिनांक 9-12-1981 को की गयी समीक्षा से सम्बन्धित रिपोर्ट पर विचार करते हुये सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गये:- 1- भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिये निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भरपूर तथा प्रभावी प्रयास किये जायं। 2- भूमि विकास कार्य के लिये निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अगले 4 माह का कार्यक्रम बनाया जाय और यह प्रयास किया जाय कि जो लक्ष्य निर्धारित हो वह मार्च-82 तक अवश्य पूरा हो जाय। 3- जौनपुर नगर में 3-1/2 एकड़ नगरपालिका भूमि को औपचारिक रुप से हस्तान्तरित कराने की कार्यवाही की जाय। 4- शाहजहांपुर, हरिव्दार, हल्दवानी, काशीपुर और बरेली में परिषद की और योजना चलाने हेतु भूमि का चयन कराया जाय। 5- निर्माण कार्यों के लिये मासिक लक्ष्य निर्धारित किया जाय और उनकी समीक्षा समय समय पर की जाय। 6- परिषद की जो सम्पत्तियां आवंटित न हो पायीं हों उनका विवरण परिषद की प्रत्येक बैठक में कारणों सहित रखा जाय। 7- परिषद के देयों की वसूली की स्थिति भी परिषद की प्रत्येक बैठक में रखी जाय।
26-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965 की धारा-10 के अन्तर्गत आवास समितियों के गठन के सम्बन्ध में।	V/(26)/81	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि आवास समितियों के गठन की आवश्यकता नहीं है।
27-	कारपोरेट प्लान पर विचार।	V/(27)/81	कारपोरेट प्लान पर विचार हेतु अध्यक्ष, आवास परिषद की अध्यक्षता में एक उप-समिति निम्न प्रकार गठित की गयी:- 1- आवास आयुक्त

क्र०प०उ०

1	2	3	4
			2- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक। 3- मुख्य अभियन्ता, आवास परिषद। 4- उप आवास आयुक्त एवं सचिव। उक्त समिति कारपोरेट प्लान पर विचार-विमर्श करके अपनी संस्तुति परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी।
28-	एक्सग्रेशिया का भुगतान।	V/(28)/81	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में शासन के आदेशों की प्रतीक्षा कर ली जाय।
29-	परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा।	V/(29)/81	इस मद पर विचार विमर्श करने के बाद परिषद ने सर्वसम्मति से वापस लेने का निर्णय लिया।
30-	मंसूरी तथा अकबरपुर में आवास योजना लागू करने के सम्बन्ध में।	V/(30)/81	परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मंसूरी में आवास योजना लागू करने के लिये नगरपालिका से उपयुक्त भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जाय तथा अकबरपुर को कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करने के संदर्भ में शासन के आदेश शीघ्र प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाय।
31-	आपसी वार्ता द्वारा भूमि प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया।	V/(31)/81	परिषद द्वारा आपसी वार्ता की प्रक्रिया से भूमि प्राप्त करने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि जिला मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में आपसी वार्ता से भूमि प्राप्त करने की जो प्रक्रिया अपनायी जाय उसकी कार्यवाही में सचिव, आवास एवं विकास परिषद, मुख्य अभियन्ता, प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर एवं वर्क्स एक्जामिनर और मुख्य वास्तुविद नियोजक में से कोई 2 अधिकारी भाग लें।
32-	आगरा में श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0सार्जेन्ट, बी0एन0सिंह, सी0-3 नं0-4 एरिया एयर फोर्स स्टेशन आगरा को भवन/भूखण्ड प्रदेशन के संबंध में।	V/(32)/81	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
33-	राम सागर मिश्र नगर विस्तार योजना के सैक्टर 12 में 12 दुकानों का निर्माण।	V/(33)/81	परिषद ने राम सागर मिश्र नगर विस्तार योजना के सेक्टर-12 में 12 दुकानों के निर्माण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
34-	कुर्सी रोड योजना, लखनऊ में समाविष्ट एल0आई0सी0 कोआपरेटिव सोसायटी की भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।	V/(34)/81	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त शासन के निर्णयानुसार सर्वसम्मति से एल0आई0सी0 इम्प्लाईज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की खसरा भूमि सं0-1 ग्राम शेखापुर (दो बीघा चार बिस्वा) को अर्जन से मुक्त करने का निर्णय लिया।

1	2	3	4
35-	श्रीमती दुर्गारानी माथुर के इन्दिरा नगर योजना में प्रदिष्ट मध्यम आयवर्ग भवन ए0-212 केप्रदेशन के निरस्तीकरण के उपरान्त की गयी कटौतियों के संबंध में।	V/(35)/81	परिषद व्दारा विचार-विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
36-	श्री राम प्रसाद बाल्मीकी, डिप्टी कलैक्टर को इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में प्रदिष्ट मध्यम आय वर्ग के भवन सं0-बी0-259 के भुगतान का समय 12 वर्ष के स्थान पर 24 वर्ष करने के सम्बन्ध में।	V/(36)/81	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से श्री राम प्रसाद बालम्मीकी, डिप्टी कलेक्टर जिन्हें इन्दिरा नगर में बी0-259(मध्यम आय वर्ग) भवन आवंटित है, के किस्तों की अदायगी 12 वर्ष के स्थान पर 24 वर्ष करने की प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया।
37-	श्रीमती ज्योत्शना चन्द्रा को इन्दिरा नगर योजना में प्रदिष्ट मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-बी0-1150 के निरस्तीकरण के उपरान्त की गयी कटौतियों के विरुद्ध दिये गये प्रत्यावेदन के संबंध में।	V/(37)/81	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस मामले पर यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त इस सम्बन्ध में अपने विवेक से निर्णय लेंगे।
38-	परिषद की कमला नगर आवास योजना, आगरा के अन्तर्गत विकसित चार आवासीय भूखण्ड जो डाक्टर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के चार सदस्यों में प्रदिष्ट किये गये थे, के समिति के विवेक पर रखे जाने के संबंध में।	V/(38)/81	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
39-	श्री त्रिलोकी नाथ यादव, भवन सं0-151 अल्प आय वर्ग की किस्तों की धनराशि आधी करने के संबंध में।	V/(39)/81	परिषद ने श्री त्रिलोकी नाथ यादव, को प्रदिष्ट भवन सं0-151 अल्प आयु वर्ग की किस्तों की धनराशि आधी करने के प्रस्ताव को विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अस्वीकृत कर दिया।
40-	चिरंजी लाल कन्या विद्यालय योजना सं0-2 में 22 मध्यम आय वर्ग तथा 171 दुर्बल आय वर्ग 5 अल्प आय वर्ग के भवनों के स्थान पर केवल 10 मध्यम आय वर्ग तथा 5 अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	V/(40)/81	परिषद व्दारा चिरंजी लाल कन्या विद्यालय योजना सं0-2 में 22 मध्यम आय वर्ग तथा 171 दुर्बल आय वर्ग 5 अल्प आय वर्ग के भवनों के स्थान पर केवल 10 मध्यम आय वर्ग तथा5 अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से विचार विमर्श के पश्चात् स्वीकृति प्रदान की गयी।
41-	परिषद की विभिन्न योजनाओं में जो भवन नहीं बनाये जा सकते हैं उनके निरस्तीकरण के सम्बन्ध में।	V/(41)/81	परिषद ने सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के पश्चात् परिषद के विभिन्न योजनाओं में जो भवन नहीं बनाये जा सकते हैं उनके निरस्तीकरण के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की
42-	राम सागर मिश्र नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-7 में चौदहवें शासन ऋण के अन्तर्गत निर्मित हो रहे 46 भवनों में अतिरिक्त कार्यों के सम्बन्ध में।	V/(42)/81	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को परिषद की अगली बैठक में पुनर्विचार हेतु रखा जाय।
43-	गोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गोला गोकर्णनाथ।	V/(43)/81	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से विचार-विमर्श

क्0प0उ0

		के उपरान्त गोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गोला गोकर्णनाथ की परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की गयी।
44-सूरजकुण्ड योजना गोरखपुर में 10 दुकानों का निर्माण।	V(44)/81	परिषद ने सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के पश्चात् सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर में 10 दुकानों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की।
45-मझौली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 (भाग-एक) मुरादाबाद की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	V/(45)/81	परिषद द्वारा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अगली बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया यह भी निर्णय लिया गया कि इस बीच सीवरेज एवं पानी की व्यवस्था के संबंध में विचार कर लिया जाय और साथ ही विद्युतीकरण के सम्बन्ध में विद्युत परिषद से भी विचार-विमर्श कर लिया जाय।
46-इज्जतनगर योजना सं0-2 बरेली में निर्मित की जाने वाली 74 दुकानों के संबंध में।	V/(46)/81	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इज्जतनगर योजना सं0-2 बरेली में 74 दुकानों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की।
47-सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बरेली के विकास कार्यों के प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में।	V/(47)/81	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बरेली के विकास कार्यों के प्राक्कलन के प्र-स्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
48-परिषद की ट्रांस यमुना योजना आगरा में 24 दुकानों के निर्माण के संबंध में।	V/(48)/81	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से ट्रांस यमुना योजना आगरा में 24 दुकानों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की।
49-हडको योजनाओं के रीकटैगराइजेशन के संबंध में।	V/(49)/81	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
50-फिरोज़ाबाद योजना सं0-1 में स्थित श्री रतन लाल के भूखण्ड सं0-497 के संबंध में।	V/(50)/81	परिषद ने फिरोज़ाबाद योजना सं0-1 में स्थित श्री रतन लाल के भूखण्ड सं0-497 को विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से अर्जन से मुक्त न किये जाने का निर्णय लिया।
51-परिषद की योजनाओं के लिये लेखपाल कानूनगो एवं नायब तहसीलदार स्तर के पदों का सृजन एवं नियुक्ति के संबंध में।	V(51)/81	परिषद द्वारा परिषद की योजनाओं के लिये लेखपाल कानूनगो एवं नायब तहसीलदार स्तर के पदों के सृजन एवं नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

पुष्टि की गई

[signature] 18/2/82

अध्यक्ष